बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन-0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in ईमेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि॰ प्रा॰/ विविध 3-26/2019 812 /पटना, दिनांक 06/06/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/
सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार।

विषय : **निर्वाचन देय साख/सहयोग समितियों से निर्वाचन व्यय की राशि संबंधित समितियों द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से Transfer करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार द्वारा निर्वाचन देय समितियों से निर्वाचन व्यय की राशि मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अब तक प्राप्त की जाती रही है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से निर्वाचन देय समितियाँ निर्वाचन व्यय की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पदनाम से चालू खाते में Transfer करेगी। इस हेतु RTGS/NEFT Beneficiary details की विवरणी निम्न प्रकार है:-

1.	Name-	Chief Election Officer, Bihar State Election Authority, Patna
2.	Address-	Bihar State Election Authority, 32, Harding Road, Patna-800001
3.	Current Account No.-	30484832194
4.	Name of the Bank-	State Bank of India
5.	Branch-	Patna Secretariat, Sinchai Bhawan, Patna
6.	IFSC Code-	SBIN0000153

संबंधित सहयोग/ साख समितियों द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से Transfer करने के उपरान्त संबंधित सहयोग/ साख समिति अपनी समिति का नाम, राशि एवं संबंधित बैंक से प्राप्त UTR No. सहित विस्तृत विवरणी संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/ निबंधक, सहयोग समितियाँ (जो लागू हो) को भेजेगी तथा संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संयुक्त निबंधक/निबंधक, सहयोग समितियाँ (जो लागू हो) तत्संबंधी विवरणी, निर्वाचन के प्रस्ताव के साथ प्राधिकार कार्यालय को भेजेंगें। केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही पूर्व की तरह डिमांड ड्राफ्ट भेजा जा सकेगा।

अत: अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के पश्चात् इस संबंध में यथासंभव RTGS/NEFT के माध्यम से निर्वाचन व्यय की राशि Transfer करना सुनिश्चित किया जाय तथा प्राधिकार के इस निदेश से सहकारी समितियों को भी तत्काल अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,
6.6.19
(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव

BSEA dt. 29.05.2019